Manmohan Singh *बहुत*/वांहरियाणा राज्य और अन्य
(एम. आर. अग्निहोत्री, जे.

भारतीय कानून की रिपोर्ट

न्यायमूर्ति एम. आर. ☒ग्निहोत्री के समक्ष

मनमोहन सिंह-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और ☒न्य, - उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1989 का 375।

8 ☒क्टूबर, 1990।

भारत का संविधान, 1950 - ☒नुच्छेद 16, 226 और 227 - वेतनमानों की समानता - ☒तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒धिकारी का वेतनमान इंजीनियर-इन-चीफ के बराबर - बाद में इंजीनियर-इन-चीफ के वेतनमान को ऊपर की ओर संशोधित किया गया - ☒तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒धिकारी संशोधित वेतनमान के हकदार हैं - जब विभिन्न विभागों में दो कर्मचारी समान वेतनमान लेते हैं, तो उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समान माना जाना चाहिए।

हरियाणा के ☒तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒धिकारी के पद से जुड़े महत्व और जिम्मेदारियों के संबंध में, यह एक ☒च्छी तरह से स्पष्ट तथ्य है कि यह ☒त्यधिक तकनीकी प्रकृति का एकमात्र पद है, जिसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से इंजीनियर-इन-चीफ के कर्तव्यों से कम महत्वपूर्ण या हीन नहीं माना जा सकता है। ☒न्यथा, इंजीनियर-इन-चीफ के 3 पद के 2 ☒संशोधित वेतन/वेतनमान

को संशोधित किया गया था, न कि नाम से या इस पद के पदधारी के व्यक्तिगत होने के लिए, बल्कि ऐसे सभी पदों के वेतनमानों को मौजूदा वेतनमानों के संदर्भ में ☒धिसूचना के आधार पर उसी उच्च वेतनमान में संशोधित किया गया था। इसलिए,-☒केले याचिकाकर्ता को समान वेतनमान प्रदान नहीं करना संविधान के ☒नुच्छेद 16 का उल्लंघन करते हुए भेदभाव का कार्य होगा।

(सेवा 6)

इसके ☒लावा, यह भी कहा गया है कि यदि विभिन्न विभागों में दो पदों पर समान वेतनमान है, तो उनकी जिम्मेदारियों और जिम्मेदारियों को सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समान और समान माना जाना चाहिए।

(सेवा 9)

भारत के संविधान के ☒नुच्छेद 226 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को निर्देश देते हुए सर्टिओरारी, मैंडेमस या कोई ☒न्य उपयुक्त रिट निर्देश या आदेश जारी किया जाए: –

(i) मामले के पूर्ण रिकॉर्ड का उत्पादन करने के लिए;

(ii) ☒नुलग्नक 'पी-6' में दिए गए आदेश को रद्द किया जाए;

(iii) प्रतिवादियों को निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए कि याचिकाकर्ता का वेतन 10,000/- रुपये के वेतनमान में निर्धारित किया जाए। 5 दिसंबर, 1986 से 7,300-7,600 रुपये की प्रभावी निगरानी;

(iv) वेतन के बकाये की प्रकृति में परिणामी लाभ और पेंशन और ☒न्य

सेवानिवृत्ति लाभों में संशोधन भी प्रदान किया जा सकता है;

(v) यह माननीय न्यायालय कोई ☒न्य आदेश भी पारित कर सकता है जिसे वह न्यायालय की परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझे;

(vi) याचिकाकर्ता को ☒नुलग्नक पी -1 से पी -7 की मूल प्रति दाखिल करने से छूट दी जाए;

(vii) याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों को रिट याचिका की ☒ग्रिम सूचना देने से छूट दी जाए;

(viii) आगे यह प्रार्थना की जाती है कि याचिकाकर्ता को उपार्जन की तारीख से रिलीज की तारीख तक बकाया राशि पर ब्याज दिया जाए;

(ix) इस रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

जे. एल. गुप्ता, सीनियर एडवोकेट और याचिकाकर्ता के वकील विक्रांत शर्मा।

एस.वी. राठी, एडवोकेट, ए.जी., हरियाणा के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति एम.आर. ☒ग्निहोत्री ।

(1) इस रिट पीटीशन का प्रयासकर्ता हरियाणा के रिटायर्ड अडीशनल चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर है जिन्होंने इस महकमे की राइट याचिका को आह्वान किया है ताकि उसके पे को 7,300—7,500 रुपए के स्केल में 5 दिसम्बर,

1986 से प्रभावित करने के लिए एक मैंडेमस का आदेश जारी किया जाए, और उसे वेतन और भत्तों के अरियर्स, बढ़ी हुई पेंशन, ग्रेच्यूटी आदि के लाभ प्रदान किए जाएं, जिन लाभों का प्रयासकर्ता को उपयुक्त होता, अगर उसे इसे 31 दिसम्बर, 1987 से पहले प्रदान किया जाता—सेवा से सुपरैनन्यूएशन की तारीख।

(2) संक्षेप में कहा गया है, याचिकाकर्ता मूल रूप से "2,200-2,400 रुपये के वेतनमान में था, जिसमें 200 रुपये का विशेष वेतन संयुक्त मुख्य निर्वाचन ⊠ धिकारी का पद था। इस वेतनमान को संशोधित कर 2,500--2,750 रुपये कर दिया गया था बिना किसी विशेष वेतन के, जो उन्हें 5 दिसंबर, 1986 से प्रदान किया गया था। 29 ⊠ प्रैल, 1987 को, हरियाणा सरकार ने पूर्व स्केल को संशोधित किया। 1 जनवरी, 1986 से विभिन्न सेवाओं की कुल लागत 2,500-2,750 रुपये तक रु. 5,900-6,700. यह वेतनमान याचिकाकर्ता को भी स्वचालित रूप से जारी किया गया था, क्योंकि वेतन संशोधन से पहले, वह भी विशेष वेतन के साथ 2,500-2,750 रुपये के वेतनमान में था। इसी प्रकार, हरियाणा पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर-इन-चीफ का वेतनमान, जो पहले वेतन संशोधन के लिए 2,500-2,750 रुपये था, और विशेष वेतन के रूप में 250 रुपये था, को भी संशोधित किया गया था, हालांकि 7,300-100-7,600 रुपये (विशेष वेतन के बिना), यानी याचिकाकर्ता के संशोधित वेतनमान से थोड़ा ⊠ धिक, जो कि याचिकाकर्ता के संशोधित वेतनमान 5,900-6,700 रुपये था।

(3) वेतन संशोधन में इस ⊠ समानता से व्यथित महसूस करते हुए, उन्होंने 20 ⊠ क्टूबर, 1987 को सचिव, विसंगति समिति, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 3 को एक ⊠ भ्यावेदन प्रस्तुत किया। लेकिन दिसंबर, 1987 में उत्तरदाताओं द्वारा वही को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के ⊠ नुसार, यह कार्रवाई मनमानी और भेदभावपूर्ण है; क्योंकि जब हरियाणा के इंजीनियर-इन-चीफ के पदों का ⊠ संशोधित वेतनमान 2,500-2.750 रुपये और विशेष वेतन था, और इंजीनियर्स-इन-चीफ के मामले में इस वेतनमान को 7,300-7,600 रुपये तक संशोधित किया गया था, तो याचिकाकर्ता को इस बहुत ही संशोधित वेतनमान को प्रदान नहीं करना-सी के ⊠ नुच्छेद 16 का उल्लंघन था।भारत का गठन।

(4) प्रतिवादियों द्वारा दिए गए लिखित बयान में, तथ्यात्मक साक्ष्य को लगभग स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन आक्षेपित कार्रवाई को इस आधार पर उचित ठहराने की मांग की गई है कि पूर्व-संशोधित ग्रेड के रूप में, याचिकाकर्ता को 5 दिसंबर, 1986 को 2,500-2,750 रुपये मंजूर किए गए थे। याचिकाकर्ता को 5,900-6,700 रुपये के संशोधित ग्रेड की भी ⊠ नुमति दी गई थी, जो उसी तारीख से प्रभावी थी, यानी, 5 दिसंबर, 1986। यह भी दलील दी गई कि मुख्य निर्वाचन ⊠ धिकारी के पद के कर्तव्यों की प्रकृति और जिम्मेदारियां ⊠ तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ⊠ धिकारी की तुलना में पूरी तरह से ⊠ लग थीं, हालांकि दोनों पद वेतन के समान पूर्व-संशोधित वेतनमान में थे।

(5) याचिकाकर्ता ने 18 जून, 1990 को न्यायालय के आदेश के साथ एक

प्रतिकृति भी दायर की है, जिसमें स्थिति स्पष्ट की गई है, कि पद के वेतनमान को 2,500-2.750 रुपये से 5.900-6,700 रुपये तक संशोधित करते समय, किसी विशेष पद का कोई संदर्भ नहीं था और इसके बजाय सभी पदों के वेतनमान संशोधित किए गए थे। इसलिए,इंजीनियर-इन-चीफ का पद किसी भी तरह से ☒ तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒ धिकारी से बेहतर नहीं था।

(6) पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने और उनकी दलीलों को पढ़ने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की ओर से भेदभाव का एक गंभीर मामला बनाने में सक्षम रहा है। शुरुआत में, 2,500-2,750 रुपये के ☒ संशोधित वेतनमान को 5,900-6,700 रुपये के संशोधित वेतनमान में विलय कर दिया गया। जब बाद में, इस पद के पदधारी को 200 रुपये प्रति माह के विशेष वेतन की ☒ नुमति दी गई, तो ☒ तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒ धिकारी और इंजीनियर-इन-चीफ के पदों के बीच कोई ☒ समानता नहीं रही। ☒ तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒ धिकारी, हरियाणा के पद से जुड़े महत्व और जिम्मेदारियों के संबंध में, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि यह ☒ त्यधिक तकनीकी प्रकृति का एकमात्र पद है, जिसके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से इंजीनियर-इन-चीफ के कर्तव्यों से कम महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है। ☒ न्यथा, इंजीनियर-इन-चीफ के पद के ☒ संशोधित पैस-☒ प स्केल को संशोधित नहीं किया गया था, न कि नाम से या इस पद के पदधारी के लिए व्यक्तिगत होने के लिए, बल्कि ऐसे सभी पदों के वेतनमानों को 19 ☒ प्रैल, 1987 की ☒ धिसूचना के आधार पर उसी उच्च वेतनमान में संशोधित किया गया था। इसलिए, ☒ केले याचिकाकर्ता को 7,300-7600 रुपये का समान वेतनमान प्रदान

नहीं करना संविधान के ⊠नुच्छेद 16 का उल्लंघन करते हुए भेदभाव का कार्य होगा।

(7) यह भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साबित है कि सामान्यतः अदालतों को वेतन स्केल की संशोधन में हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, लेकिन एक पद की वेतन स्केल की संशोधन की निर्णय और राज्य सरकार की एक अन्य पद की वेतन स्केल की संशोधन से इनकार हमेशा उच्च न्यायालयों के याचिका पर न्यायिक समीक्षा के लिए उपयुक्त है, जो भेदभाव और अनियमितता के आधार पर परीक्षण करने के लिए होती है।वर्तमान मामले में, विभिन्न पदों के वेतनमानों को संशोधित करते समय, इंजीनियर-इन-चीफ के पद से जुड़े विशेष वेतनमान को एक ⊠निवार्य कारक के रूप में ध्यान में रखा गया था, जबकि याचिकाकर्ता के वेतनमान में एक ही यार्ड-स्टिक लागू नहीं किया गया था, भले ही इंजीनियर-इन-चीफ और ⊠तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ⊠धिकारी के दोनों पद समान पूर्व-निर्धारित वेतनमान में थे। इसमें विशेष वेतन संलग्न है। इसके ⊠लावा, याचिकाकर्ता के मामले को कभी भी वेतन संशोधन समिति या विसंगतियों समिति के समक्ष नहीं रखा गया था और प्रतिवादी नंबर 1 ने ⊠पने स्तर पर बिना किसी कारण का खुलासा किए ⊠पनी शिकायत भेजने के निवेदनकर्ता के ⊠नुरोध को ⊠स्वीकार करने का निर्णय लिया।

(8) याचिकाकर्ता द्वारा बताई गई तथ्यात्मक स्थिति और उत्तरदाताओं के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि इंजीनियर-इन-चीफ और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद रैंक और स्थिति में समान जिम्मेदारियों के साथ समान थे। इन दोनों पदों के पदाधिकारी अपने-अपने विभागों के प्रमुख थे और अपने-अपने क्षेत्रों में उच्चतम विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षी और तकनीकी कर्तव्यों

का पालन करते थे। इसलिए, विशेष वेतन के साथ 2,500-2,750 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान वाले पदों के वेतनमान को संशोधित करते समय, याचिकाकर्ता के पद पर विचार करना वेतन संशोधन समिति और उसके बाद राज्य सरकार और विसंगति समिति पर निर्भर था। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा-सह-पदेन संयुक्त सचिव की क्षमता में, 200 रुपये प्रति माह का विशेष वेतन होगा यह एक आवश्यक और प्रासंगिक विचार था कि याचिकाकर्ता द्वारा धारण किए गए पद को 5दिसंबर, 1986 से विशेष वेतन के रूप में 200 रुपये प्रति माह के साथ संयुक्त मुख्य निर्वाचन ☒ धिकारी से 2.500-2,750 रुपये के वेतनमान में ☒ तिरिक्त मुख्य निर्वाचन ☒ धिकारी में ☒ पग्रेड किया गया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को 17 अप्रैल, 1987 को हरियाणा सरकार के पदेन संयुक्त सचिव के रूप में भी नामित किया गया।

(9) इसके अलावा, हरियाणा राज्य में, रुपये का विशेष वेतन। उप सचिव के पद के लिए 200 रुपये और संयुक्त सचिव के पद के लिए 250 रुपये प्रतिमाह जुड़े हुए हैं । चूंकि याचिकाकर्ता पदेन संयुक्त सचिव था, इसलिए वह 250 रुपये प्रति माह के विशेष वेतन का हकदार था जैसा कि ☒ न्य संयुक्त सचिवों के लिए स्वीकार्य था। केवल यह तथ्य कि 250 रुपये के विशेष वेतन के बजाय आदेश जारी करते समय, 200 रुपये का उल्लेख किया गया था, वास्तव में याचिकाकर्ता को समान वेतनमान में वेतन संशोधन का दावा करने से वंचित नहीं कर सकता है। राज्य सरकार की ओर से की गई इस गलती को वेतन संशोधन के समय भी याचिकाकर्ता को परेशान करने की ☒ नुमति नहीं दी जा सकती थी। इसे एक ☒ न्य दृष्टिकोण से

देखते हुए, विभिन्न पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की समानता को उन पदों के वेतनमानों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना है,जैसा कि पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड 1, भाग 1 (हरियाणा में लागू) के नियम 2-60 के नीचे दिए गए नोट से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है: —

> "समान समय-पैमाने, एक सिविल सेवा विनियमों द्वारा शासित होता है और दूसरा इन नियमों केलिए इन नियमों के वेतन अध्याय के उद्देश्य के लिए समान माना जा सकता है। जब दो पद समान समय-मान पर होते हैं, तो यह मानना उचित है कि पदों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां प्रकृति में बहुत भिन्न नहीं हैं, भले ही पदों की नौसेना सिविल सेवा विनियमों या इन नियमों द्वारा शासित हो । इसलिए, उनमें से एक में दी गई ड्यूटी को दूसरे में वेतन वृद्धि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है।इसलिए, यदि विभिन्न विभागों में दो पद समान, वेतन स्केल हैं, तो उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को होना चाहिए। सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए समान और समान व्यवहार किया जाता है।

(10) नतीजतन, मैं इस याचिका को खारिज करता हूं और प्रतिवादियों को निर्देश देता हूं कि याचिकाकर्ता को 5 दिसंबर, 1986 से 7,300-7,600 रुपये का संशोधित वेतनमान जारी किया जाए और उसके आधार पर उसे बकाया वेतन और ☒न्य भत्तों का भुगतान किया जाए। वेतन-निर्धारण का परिणाम पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि में भी प्रतिबिंबित होगा, जिसका याचिकाकर्ता हकदार होता, यदि उसका वेतनमान संशोधित कर रु. 7,300-

7,600 5 दिसंबर 1986 से, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले, यानी 31 दिसंबर 1987 से। चूंकि याचिकाकर्ता पहले ही सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए उपरोक्त देय राशि यों की बकाया राशि का भुगतान उपार्जन की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक बारह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा। याचिकाकर्ता इस रिट याचिका की लागत का भी हकदार होगा, जिसे 1,000 रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति एम. आर. ☒ क्नीहोट्रल न्यायमूर्ति पी. एन. के. सोढ़ी के समक्ष

ए. पी. सुथार, - याचिकाकर्ता,

बनाम

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनियां लिमिटेड बॉम्बे और

एक और, - उत्तरदाता

सिविल रिट याचिका सं. 1989 का 4845।

20 मार्च, 1991।

भारत का संविधान 1950-☒ नुच्छेद 12- कंपनियां। ☒ धिनियम, 1956 - '☒ न्य प्राधिकरणों' की ☒ भिव्यक्ति - का दायरा - कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी - केंद्र और राज्य सरकार के पास इसके शेयरों का छोटा प्रतिशत है -

कंपनी के निदेशक मंडल में मुख्यतः निजी व्यक्ति होते हैं - ⊠ नुसूची में उल्लिखित उद्योग को चलाने वाली कंपनी - ऐसी कंपनी - क्या यह वास्तव में राज्य का एक उपकरण या एजेंसी है?

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा